

>

Title: Further discussion on the motion for consideration of the Child Welfare Bill, 2009 moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury on the 13<sup>th</sup> August, 2010 (Discussion Concluded and Bill Withdrawn).

MR. CHAIRMAN: The House will now take up Item No. 52 – Child Welfare Bill, 2009, further consideration of the motion moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury. Shri Gorakhnath Pandey: Not present

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, Sir, I express my thanks to you for allowing me to speak in the Private Members Business on the Child Welfare Bill.

I appreciate Shri Adhir Ranjan Chowdhury for having raised certain vital points through this Bill which focus on the welfare of the children. Let me share few points with the hon. Members. India accounts for the second largest number as far as the child labour is concerned. According to a Report of the International Labour Organization, about 80 per cent of child labourers in India are employed in the agriculture sector and that 4,20,000 children are engaged in the carpet industry.

Even according to the Government's estimates, 12.6 million children under the age of 14 are at work in various occupations. The more pathetic aspect of the story is that two million children work in what we call 'hazardous industries'. What all this means? We have failed totally. Even the Government does not pay as much focus and attention on it as required. ICDS is also there but they leave the children untouched. Almost 51 per cent of the children under five are underweight for their age. This is one-third of the global stunted children. Four lakhs new born are dying every year within the first 24 hours of birth. Even compared to Bangladesh and Sri Lanka, our achievement in child mortality is poor. Should we not feel guilty at our total dismal performance on child front?

Is the Centre satisfied with spending less than five per cent of annual Budget on children? In Chennai city alone, more than 21,000 children in the age group of 8-15 are working as maids, and still worst is that 50 per cent of them are subject to corporal punishment. Is working as domestic help at the young age not a curse or fate?

Our hon. Speaker, during the Inaugural Meeting of the Parliamentary Forum on Children said:

"Children of today could not evolve into responsible citizens of tomorrow unless an environment conducive to their physical, mental and emotional growth was assured to them."

I would like to request the Government to address child labour with all seriousness it deserves. Treat every child labour as an issue and approach the problem in a comprehensive manner. I suggest to the Government to put in place a comprehensive rehabilitation policy for children. Along with setting up Juvenile Homes in each district as suggested in the Private Member's Bill, let the Governments, both Centre and State, set up District Rehabilitation Centres and provide vocational training to street children and abandoned children so to make them self-employed.

I urge the Government to be more sensitive towards the needs of these hapless children. I appeal to the Government to bring in a comprehensive legislation incorporating what is said in the Bill, what I said and what other Members are going to say.

I thank you, Mr. Chairman for having given this opportunity.

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** सभापति महोदय, आपने मुझे श्री अधीर रंजन चौधरी का जो वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में प्राइवेट मैम्बर्स बिल है, उस पर बोलने का अवसर दिया-धन्यवाद।

बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उनकी जो क्रियान्विति नहीं होने से अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि भारत में भूख से भी बच्चे मर रहे हैं और बच्चों में जो कुपोषण है, वह भी काफी मात्रा में है, अंडर वेट भी बहुत ज्यादा बच्चे हैं, यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि इसमें एक होलिस्टिक एप्रोच अपनाई जानी चाहिए।

बहुत से महकमे बच्चों के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन कल्याण हो नहीं पाता है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि जो सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय

विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति देता है,

उसमें इफ और बट लगा देता है। अगर वह बच्चा विकलांग है, उसका विकलांग का सर्टिफिकेट है, तो इसमें इफ और बट की क्या जरूरत है? जो बच्चों की कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उसमें किंतु-परंतु हटने चाहिए, नहीं तो योजनाएँ बच्चों तक पहुंच नहीं पाएंगी।

महोदय, राइट टू एजुकेशन का जिक्र आया, छः से चौदह साल तक के बच्चों को अधिकार दिया गया कि आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए भारत सरकार ने सीटीएस, वाइल्ड रैकिंग एक सर्वे करवाया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम सरकार को बताना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में आ रही है। मेरे स्टेट में देखिए, मैं राजस्थान से आता हूँ, मेरे क्षेत्र बीकानेर जिले में सीटीएस सर्वे हुआ। वहां हजारों की संख्या है, स्टेट में लाखों में संख्या हैं, मेरे ख्याल में जब संख्या का सर्वे होगा, तो यह संख्या करोड़ों में जाएगी, ये वे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, मेरा कहना है कि केवल सर्वे कराने से पार नहीं पड़ेगा, केवल राइट टू एजुकेशन देने से पार नहीं पड़ेगा। इससे क्या वह बच्चा स्कूल जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा? वह बच्चा झुग्गी-झोपड़ी में रहता है, घरों में बाल मजदूरी करता है और होटल और रेस्टोरेंट में भी मजदूरी करता है, तो कैसे वह स्कूल जाएगा? यह एक विंता का विषय है कि बच्चों के कल्याण की योजनाएं बनाने के लिए एक होलस्टिक एप्रोच की जरूरत है। बच्चों के लिए एक नीति बनाने की जरूरत है।

महोदय, किशोर न्यायालय जो इस देश में बच्चों के कल्याण के लिए चल रहे हैं, मैं उनकी भी बात करना चाहता हूँ। बाल संरक्षण अधिनियम बना हुआ है। अभी भी ऐसी रिपोर्ट है कि देश में किशोर न्यायालय नहीं खुल पाए हैं। अभी भी 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे किसी कारणवश अपराध कर बैठते हैं, वे सामान्य जेल में ही रहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सभी जगह किशोर न्यायालय खुलने चाहिए।

महोदय, लेबर लॉज की बात भी आयी। शिवकाशी में पटाखे की फैक्ट्रीज हैं, वहां बच्चे काम करते हैं। हालांकि उनका जो उत्पादन है, उनका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन वह बच्चा मजबूर है, उसको रोटी चाहिए। इसलिए वह शिवकाशी की फैक्ट्री में भी काम करेगा, कारपेट की फैक्ट्री में भी काम करेगा, डॉयमंड ज्वैलरी की फैक्ट्री में भी काम करेगा, होटल और रेस्टोरेंट में भी काम करेगा, प्रिंटिंग सेक्टर वाली टेक्सटाइल मिल में भी काम करेगा, माइनिंग सेक्टर में भी काम करेगा, क्योंकि उसको रोटी चाहिए। यह कहना कि वह वहां पर काम करेगा, तो बाल अपराध या कानून लागू होगा, लेकिन उसको रोटी कहां से मिलेगी? इसलिए इस पर भी विंता करने की जरूरत है, इसके लिए होलस्टिक एप्रोच की जरूरत है। मान्यवर, घरों में मजदूरी की बात आती है, इस संबंध में सर्वे हुआ। बड़े-बड़े अधिकारियों, नेताओं और जजों के यहां बाल मजदूर काम करते हैं। लोग कहते हैं कि बाल मजदूर कहां हैं? किसी के घर चले जाओ, ढूंढ लो तो बाल मजदूर मिल जाएंगे। बाल मजदूर को जब आप आइडेंटिफाई करके होलस्टिक एप्रोच में नहीं लायेंगे, तब तक उनका कल्याण नहीं होने वाला है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडर वेट बच्चों की जांच होती है। इनका एक प्रोग्राम चलता है कि स्कूलों में अंडर वेट स्वास्थ्य की साल में एक बार जांच करे, लेकिन उसमें औपचारिकताएँ ज्यादा हैं। उसमें नर्स को कहा जाता है, वह भी नहीं जाती है, डाक्टर को कहा जाता है, तो वे भी नहीं जाते हैं। पटवारी और ग्राम सेवकों के भरोसे छोड़ दिया जाता है कि आप देख लीजिए, बच्चा अंडर वेट है या नहीं। अगर ऐसे ही योजनाएँ चलेगी, तो काम चलने वाला नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में कहना चाहता हूँ कि बहुत से आंगनबाड़ी केंद्र अब तक किराये के भवन में चल रहे हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों को कम से कम कुछ बजट देकर उनका खुद का भवन तो बना दीजिए, जिससे वे पेड़ लगा सकें। जो महिलायें और बच्चे वहां बैठते हैं, वे सही वातावरण में सुरक्षित रह सकें अन्यथा मकान मालिक और आंगनबाड़ी केंद्रों के बीच झगड़ा ही चलता रहता है। जो न्यूट्रीटिव फूड आता है, उसमें भी चोरी होने की घटनाएँ होती रहती हैं।

मान्यवर, बाल विवाह के संबंध में जब से शारदा एक्ट बना था, तब से लेकर बाल विवाह की बात हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। यह बड़े दुख की बात है कि बाल विवाह इस देश में होते हैं और कई नेता भी उसमें शरीक होते हैं। बाल विवाह अधिनियम बना हुआ है, लेकिन उन नेताओं को तो पता नहीं चलता कि यह बच्चा 18 साल का है या 21 साल का है, वह चले जाते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि बाल विवाह अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा, जब तक इसके संबंध में जागृति अभियान नहीं चलाया जाएगा।

लोगों को अपने को जागृत करना पड़ेगा, अवेयरनेस कैम्पेन करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि यह एज ठीक नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उसने नेताओं पर एक तलख टिप्पणी की है। मैं आपके माध्यम से सब नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि जब उनके पास शादी का कार्ड आए तो वे देखें कि कहीं बाल विवाह में तो शरीक नहीं हो रहे हैं। हमें इस बारे में प्रयास करना चाहिए।

जब दंगे होते हैं तो उनमें भी बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हरियाणा में मिरतपुर की घटना हुई, राजस्थान के अलवर में डुरेपुर की घटना हुई जिसमें एससी, एसटी के लोगों के साथ एट्रॉसिटी की गई। एट्रॉसिटी कहीं भी हो, उसमें बच्चे प्रभावित होते हैं। बच्चे महीनों तक स्कूल नहीं जा पाते। होलस्टिक एप्रोच में इन बातों को भी देखने की जरूरत है।

मिड डे मील में कई ऐसी घटनाएं ध्यान में आई हैं कि हैबिट के अनुसार खाना नहीं दिया जाता। कहीं-कहीं ऐसा सुनने में आता है कि मिड डे मील में भी छुआछूत हो रही है। अगर कोई अनुसूचित जाति की महिला खाना बनाने आ गई तो गांव के दूसरे बच्चों ने उसका बॉयकाट कर दिया कि हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सख्ती से कानून की पालना होनी चाहिए या उस स्कूल को मिड डे मील देना बंद कर देना चाहिए या ग्राम पंचायत, जिसने ऐसा करने का साहस किया, उसे सब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

स्कॉलरशिप की बात आई। अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनोंटिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। यह कैसा सिस्टम है कि यहां से स्कॉलरशिप जाती है, फिर स्कूल, कालेज में जाती है। बच्चा देखता रहता है कि मेरी स्कॉलरशिप कब मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे का खाता क्यों नहीं खुलवा दिया जाता। उसे यहीं से क्यों नहीं भेजा जाता। एक कॉपी लगाकर कालेज के प्रबंधन को दे दी जाए कि हमने छात्रवृत्ति भेज दी है, आप इसे वैरीफाई कर लीजिए। जब इंडिया आवास का पैसा डायरेक्ट ग्राम पंचायत में जा सकता है तो बच्चों की स्कॉलरशिप क्यों नहीं जा सकती। इसमें संशोधन करके सुधार किया जाना चाहिए।

मैं मेडिकल और हेल्थ की बात कहना चाहता हूँ। बच्चों के डाक्टर कम हैं। इस देश में पिडिएट्रियंस और गाइनीकॉलाजिस्ट्स कम हैं। अगर आप बच्चों का कल्याण करना चाहते हैं तो होलस्टिक व्यू लेकर इस बारे में कार्य करना चाहिए।

अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि बीपीएल लिस्ट जिसके तहत पीडीएस में अनाज मिलता है, वह भी सही नहीं होने से कमजोर बच्चा उससे वंचित रह जाता है। इसलिए

बीपीएल लिस्ट में भी जल्दी से जल्दी संशोधन किया जाए।

मैं इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तावित प्राइवेट मैम्बर्स बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि विभाग द्वारा चाइल्ड वेल्फेयर के कार्यक्रम में 6 साल से 18 साल तक के बच्चों की बात है, जबकि अधीर रंजन जी ने 15 साल तक के बच्चों को चाइल्ड वेल्फेयर में रखने की बात कही है। इस बिल की परिधि 18 साल है। यह बिल पहले वर्ष 2000 में बना और वर्ष 2006 में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ। आप केन्द्र से कई स्कीम्स चला रहे हैं, जैसे बाल कल्याण विधेयक, 2009 है। कुपोषण या गर्भवती महिलाओं के लिए भी भारत सरकार की कई स्कीम्स चल रही हैं। लेकिन आज उन स्कीम्स का राज्य स्तर पर कितना क्रियान्वयन हो रहा है। मंत्री जी इस बात पर जरूर ध्यान देंगे कि आज विभिन्न राज्यों में समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत आईसीडीएस की जो स्कीम चल रही है, जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी बहनों, सहायिकाओं की नियुक्ति की गई है, वह इसलिए नहीं कि 13 लाख 67 हजार आंगनवाड़ी के पद स्वीकृत हैं और 11 लाख 95 हजार आंगनवाड़ी की सहायिकाएं उनमें नियुक्त हो गईं।

आज हमारी आंगनवाड़ी की सहायिकाएं, जिन पर यह उत्तरदायित्व था कि चाइल्ड वेल्फेयर के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स, जिन्हें राज्य सरकार को लागू करने का दायित्व है और जिसके लिए आप फंडिंग कर रहे हैं, उन कार्यक्रमों के साथ-साथ तमाम राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। आप जानते हैं कि पूरे देश में पल्स पोलिया का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हम इस देश से पोलिया को समाप्त कर सकें, उन्मूलन कर सकें। पोलिया अभियान के तहत जिस दिन पोलिया की ड्रॉप्स पिलानी होती हैं, उस दिन तमाम आंगनवाड़ी बहनें उस राष्ट्रीय कार्यक्रम को मूर्तरूप से पूरा करने का काम करती हैं। इसी तरह से जनगणना है। वह भी राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है। जो भी राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उन्हें आंगनवाड़ी बहनें चाइल्ड वेल्फेयर के दायित्व के साथ-साथ पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आंगनवाड़ी महिलाओं को जितना मानदेय मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता। आज तमाम राज्यों में भिन्नता है। अगर दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में 3500, 4000 या 4500 रुपये मिल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2000 या 2500 रुपये मिल रहे हैं। आज इनप्लेजमेंट के दौर में तमाम पढ़ी-लिखी महिलाएं घर से निकलकर आंगनवाड़ी केन्द्रों में चाइल्ड वेल्फेयर और राष्ट्रीय महत्व के काम कर रही हैं।

माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूँ कि इस फंड को भारत सरकार आईसीडीएस लागू करने के लिए दे रही है। इस बारे में कम से कम सभी राज्यों में एकरूपता हो। जो बहनें उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, बंगाल या चेन्नई में काम कर रही हैं, उन सारी बहनों को जो भी मानदेय मिल रहा है, उसमें निश्चित तौर से एकरूपता होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहूँगा कि यह स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा दी गयी देन है। पहले गांवों में अशिक्षा और जागरूकता न होने के कारण गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर बढ़ती थी। चाइल्ड बर्थ रेट ज्यादा थी। मातृत्व के समय गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। उस पीड़ा को देखकर इस कार्यक्रम को चलाया गया ताकि मातृत्व मृत्यु दर कम हो सके या बच्चों की मृत्यु दर को कम किया जा सके। इस नाते इस कार्यक्रम को चलाया गया है, जिसका फायदा भी मिला है।

मैं आज कह सकता हूँ कि मातृत्व दर कम हुई है और उसमें यह संख्या बढ़ी है। इसी तरह भारत सरकार ने नैशनल रूरल हेल्थ मिशन में भी काफी पैसा दिया है। मैं समझता हूँ कि लगभग 53 हजार करोड़ रुपये नैशनल रूरल हेल्थ मिशन में पूरे भारत को दिये हैं। 4000 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को मिले हैं। आज उस नैशनल रूरल हेल्थ मिशन में बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट, दवाओं या टॉनिक आदि चीजों के लिए पैसे दिये जाते हैं। उस पैसे का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसकी पीड़ा भी हम लोगों ने इस सदन में व्यक्त की है। इस बात को खुद स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है। कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां पर आज नैशनल रूरल हेल्थ मिशन के पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। वहां बड़े पैमाने पर उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। केवल सामान खरीदने में पैसा खर्च किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से उसे अलग करके दूसरे विभाग को दे दिया गया। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस बात को ... (व्यवधान)

**श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर):** इसमें उत्तर प्रदेश का मामला कहां से आ गया है?... (व्यवधान)

**श्री जगदम्बिका पाल :** उसमें अन्य राज्यों की भी बात है। अभी अनुयायी जी बतायेंगे कि वहां क्या स्थिति है? मैं उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा कि अन्य राज्यों में भी नहीं है। यह ठीक कह रहे हैं। बच्चों के कल्याण के लिए, चाइल्ड वेल्फेयर के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल अधीर रंजन जी ने उठाया है। जो स्कीम्स आज भारत सरकार द्वारा चल रही हैं, चाहे वह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से हो, आज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से सभी प्राइमरी स्कूलों या बेसिक शिक्षा के स्कूलों में मिड-डे-मील योजना लागू की गयी जिसका अभी मेघवाल जी भी जिक्र कर रहे थे। भारत सरकार उसके लिए पूरे देश में पैसा दे रही है, फंडिंग कर रही है। इसके तहत बच्चे स्कूल जा रहे हैं।

मैं यह बधाई देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस स्कीम से ड्रॉप-आउट कम हुआ है और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, मिड डे मील योजना ने उनको प्रोत्साहन दिया है। जिन गरीब बच्चों के घरों में भोजन का अभाव होता था, वे अब स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ ही उनको मिड डे मील भी मिल रहा है। लेकिन हमारे यहां मिड डे मील योजना जिस तरीके से कोलैप्स हो रही है, उसके लिए यहां से पैसा दिया जा रहा है, लेकिन विद्यालयों में जिस तरह से मिड डे मील बनना चाहिए और बच्चों को मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। कई विद्यालयों में मिड डे मील बंद हो चुका है जिसकी शिकायत हम शासन और प्रशासन से कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि सभी के निर्वाचन क्षेत्रों में आज मिड डे मील की महत्वाकांक्षी योजना जिसका उद्देश्य यह था बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, छात्रों की संख्या बढ़ेगी और उनके लिए एक सुनिश्चित गारंटी होगी कि शिक्षा के साथ-साथ भोजन भी विद्यालय में उपलब्ध होगा, अगर मिड डे मील के लिए हम फण्डिंग करें और उसको राज्य सरकार ठीक से लागू न कर सके, तो निश्चित रूप से बच्चों की संख्या भी कम होगी। इसलिए अधीर रंजन जी का और सदन का चिंतित होना स्वाभाविक है कि आखिर हमने चाइल्ड वेल्फेयर के लिए इतनी स्कीम्स बनाई हैं, उन स्कीम्स के अंतर्गत किस तरीके से काम होगा।

इसी तरह से हम तमाम स्कीम्स चला रहे हैं, चाहे पेयजल हो, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान हो, वह भी बच्चों एवं जनजीवन के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से तमाम ऐसी स्कीम्स चल रही हैं, जो बच्चों के हेल्थ, एजुकेशन, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए चल रही हैं, आप अपने उत्तर भाषण में उन स्कीम्स की स्थिति के बारे में भी बताएं। दो नई स्कीम्स शुरू हुई हैं। पहली स्कीम है - राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम, जो देश के 200 जिलों में शुरू की गयी है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। दूसरी स्कीम है - इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जो सशक्त मातृत्व लाभ स्कीम है। जो गर्भवती महिलाएं काम पर नहीं जा सकती हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। इस स्कीम को 52 जिलों में शुरू किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इससे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, पुष्टाहार के लिए 4000 रुपये नकद भी दिया जाता है। लेकिन चिन्ता वही होती है कि आज यह स्कीम हम लागू कर रहे हैं, इसके लिए भारत सरकार पैसे भी दे देगी, लेकिन क्या यह पैसा सुदूर खेत-खलिहान में बैठी हुई दलित, बैकवर्ड या किसी गरीब या गरीबी रेखा नीचे रहने वाली उस महिला जो गर्भवती है, जिसको यह पैसा मिलना चाहिए, उसे मिलता है? आज स्थिति यह है कि इस स्कीम का पैसा लाभार्थी को लेने के लिए बीच में बिचौलिया, हमारे कर्मचारियों या पैसा देने वाले लोगों द्वारा कमीशन लिया जाता है अथवा लाभार्थियों को दौड़ाया जा है, ऐसी दिक्कतें एवं दुश्चारियां आ रही हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर सकते हैं कि इस तरह की स्कीम्स का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में जाए। जिस गर्भवती महिला को यह पैसा देना है, हम उनको किसी के माध्यम से देने के बजाय सीधे उनके खाते में वह पैसा डाल दिया जाए, तो उनको इसका लाभ निश्चित तौर से मिलेगा। जो जननी सुरक्षा योजना है, उसका लाभ हुआ है। हमारी ग्रामीण महिलाओं को इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि कितना आयोडीन होना चाहिए, आज तमाम लोगों को आयोडीन और आयरन आदि की कमी से ज्वाइंटिश आदि बीमारियां हो जाती हैं। आज जननी सुरक्षा योजना में हम जो पैसा दे रहे हैं कि किसी भी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर डिलवरी के लिए पीएचसी तक पहुंचाने के लिए 800 रुपये की भारत सरकार की व्यवस्था है।

आज उसमें भी अपनी तरफ से उन महिलाओं को लेकर जाती हैं, पीएचसी में भर्ती कराती हैं, उनकी डिटीवरी कराती हैं, फिर उन्हें घर पहुंचाने का काम करती हैं, लेकिन जो पैसा भारत सरकार द्वारा उनके लिए निर्धारित है, उससे उन आशा बहूओं का गुजारा नहीं हो पाता और वह भी उन्हें नहीं मिलता है। हमारे राज्य में आए-दिन जनपदों में इस बात को लेकर आशा बहूओं में काफी रोष व्याप्त होता है। उन्हें इस काम के लिए 200 रुपए और उस गर्भवती महिला को 600 रुपए मिलते हैं, लेकिन वे पैसे भी उन्हें पूरे नहीं मिलते हैं। जो पीएचसी में काम करने वाले लोग हैं, जो इसे डील करते हैं, वे अपना कमीशन मांगते हैं। मंत्री जी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

देश में जननी सुरक्षा योजना और बाल सुधार कार्यक्रम में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को और ध्यान देना चाहिए। किसी भी देश की पूंजी उस देश की युवा पीढ़ी होती है और देश के बच्चों के जेनरेशन से उस देश की ताकत मातूम होती है। आज किसी देश की ताकत का पैमाना वहां की जमीन या गगनचुम्बी इमारतों से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि युवा पीढ़ी और स्वस्थ बच्चों के पैमाने से लगाया जाता है। आज हम इसी चाइल्ड वेलफेयर पर चर्चा कर रहे हैं और बच्चों को सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अगर हम एक बच्चे को भी स्वस्थ और शिक्षित बनाते हैं तो आगे चलकर वह एक जिम्मेदार नागरिक बनने की राह पर अग्रसर होगा।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the time allotted to this Bill is over. I have another two or three Members to speak on this Bill. Other Members are also waiting for their Bills to be taken into consideration.

**संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** ऐसा करें कि इस बिल को पूरा कर दिया जाए और नया बिल शुरू हो जाए।

MR. CHAIRMAN: That is my intention. If the House agrees, we may extend the time till the completion of this Bill and for taking up the next Bill.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

**श्री जगदम्बिका पाल :** सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि इस योजना के शुरू होने से जहां 1990 में चाइल्ड डैथ रेशो 1000 पर 80 था वह 2008 में 58 तक आ गया है। निश्चित रूप से इस स्कीम का और भी फायदा हो सकता है। इसी तरह मातृत्व में आप देखें कि 1990 में जहां 1000 पर 109 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, वह 2008 में घटकर 69 रह गई है।

**सभापति महोदय:** अब आप अपनी बात समाप्त करें। ये बातें तो मंत्री जी अपने जवाब में कह देंगी।

**श्री जगदम्बिका पाल :** मैं अंतिम बात और कहना चाहता हूँ। मैं केवल यह कहूंगा कि आज भी हमारे देश में बाल मजदूरी हो रही है, इस पर भी सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। आज आप होटल्स में या ढाबों में चले जाएं, वहां देखें कि किस तरह बच्चों का शोषण होता है। एक तरफ हम कहते हैं कि बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, उसके खिलाफ कानून भी बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ व्यावहारिक रूप में देखें तो जहां बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, वहां उनके हाथों में झाड़ू, फावड़ा होता है। मनरेगा में 18 साल से कम उम्र के बच्चों का काम करना निषेध है, लेकिन वहां भी उनसे काम लिया जाता है। वे मजदूरी में अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण ऐसा करते हैं। बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी पर सरकार को कदम उठाने की जरूरत है।

माननीय सदस्य ने जो यह बिल पेश किया है, मैं उनकी भावना की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में इस सम्बन्ध में जो एक्ट है, वह 2008 में संशोधित हुआ था, अगर राज्य सरकारें उसका ठीक से पालन करें तो अधीर रंजन जी को इस तरह का बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

**श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर):** सभापति जी, चौधरी जी ने सदन में एक अच्छा संज्ञान लाने का काम किया है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उसी भगवान के रूप को देश की आजादी के 63 साल बाद हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि क्या हालत है। हम गांव में किसी की बारात में जाते हैं। वहां भोजन पंडाल के पीछे बगल में बनाया जाता है। इसी देश का एक छोटा बच्चा जूठी पूड़ी खाने के लिए आपको इधर से उधर और उधर से इधर भागना हुआ मिल जाएगा। इसी तरह जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो हम दस रुपए में पूड़ी की प्लेट लेते हैं। कुछ पूड़ियां खाने के बाद अगर एकाध पूड़ी हम छोड़ देते हैं तो वही भगवान का रूप यानि छोटा बच्चा उसे

उठाकर खाते हुए आपको मिल जाएगा।

अब तो यहां तक स्थिति आ गयी है कि कई जगह भीख मंगवाने वाले गिरोह के लोग, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक में, 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे को दिन भर की मजदूरी पर ले रहे हैं। जितना छोटा बच्चा होगा, उतनी ही भीख मिल जाएगी, ऐसा भीख मांगने वाले कर रहे हैं। बाल कल्याण की तरफ अगर हम सही दिशा में बढ़ना चाहते हैं, मैं यह नहीं कहता हूँ कि हम बिल्कुल बढ़े नहीं हैं। अगर हम वर्गीकरण करें तो अक्सर प्राप्त बच्चों की स्थिति देख लीजिए। जो गरीब विन्धित हो गये हैं उन बच्चों को भी थोड़ी आशा बढ़ी है, कुछ बच्चे बीपीएल ही सही लेकिन विन्धित होकर मिड-डे मील तक पहुंच गये हैं, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो आज तक विन्धित नहीं हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे हैं जो ईट-भट्टे पर काम करते हैं, जो चार बजे भोर में उठकर अपने माता-पिता के साथ ईंटों को पाथते हैं, ऐसे बच्चे हैं, जो रेलवे स्टेशन के किनारे रहते हैं और कबाड़ बीनते हैं, उनको आपने विन्धित नहीं किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देश में बहुत से ऐसे माता-पिता हैं जो अस्थायी मजदूरी करने जाते हैं, 6 महीने कहीं मजदूरी करते हैं, 6 महीने दूसरी जगह मजदूरी करते हैं, उनके बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल तो हैं नहीं जो वे वहां पढ़ें, हमने उन बच्चों के कल्याण के लिए क्या योजना बनाई है? भारत में सचल शौचालय तो मिल जाता है लेकिन सचल विद्यालय इस देश में नहीं मिलता है। अगर सचल विद्यालय होता तो निश्चित तौर पर जो अस्थायी मजदूर हैं, उनके बच्चे पढ़ते। जिनकी 6 महीने की नौकरी कहीं, 6 महीने परिवार सहित कहीं, कहीं पर वे बरसाती टांग कर रह रहे हैं, कभी इस सड़क को बना रहे हैं, कभी उस सड़क को बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं, उनके बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं उन्हें कौन देख रहा है?

अगर हमने बच्चों को विन्धित किया होता तो सभापति महोदय, निश्चित तौर पर भारत में सामाजिक परिवर्तन होता। लेकिन अगर मैं असंसदीय शब्द नहीं कह रहा हूँ तो यह जरूर कहूंगा कि हमारे देश में अक्सर प्राप्त लोग मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, लाखों रुपये का दान एक घंटे के अंदर दे देते हैं। लेकिन इस देश में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिली कि एक गांव का आदमी या एक उद्योगपति या एक अक्सर प्राप्त आदमी कम से कम अपने यहां बर्तन मंजवाने वाले बच्चे का भी पढ़ा-लिखा कर कल्याण कर दे, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। अगर इस देश के अक्सर प्राप्त लोग अगर एक-एक गरीब बच्चे का शिक्षा, स्वास्थ्य और बेकारी का ध्यान रखते तो मैं समझता कि बहुत पुण्य होता। भगवान चाहे जिस धर्म के हों, वे भी उसका आदर करते कि हमारे देश के एक बच्चे का कल्याण इसने किया है। इसीलिए अगर हम बच्चों के कल्याण की बात करते हैं तो बच्चों के कल्याण के लिए सबसे पहले एक जो उनके माता-पिता की सबसे बड़ी मजबूरी है, और उनकी क्या मजबूरी है कि बच्चा अगर पैदा हो गया, तो 2 साल, 4 साल का होने के बाद ही उसे वह बकरी का पगहा पकड़ता है, या बकरी का बच्चा पकड़ता है, उसके पीछे उसका आशय क्या है कि अगर यह बच्चा किसी होटल में जाएगा और 20 रुपया भी कमाएगा, तो मेरा जीवकोपार्जन हो जाएगा। इसलिए माता-पिता बच्चे के भविष्य को लेकर नहीं बल्कि तुरंत चाहते हैं कि उससे कुछ आय होने लगे। बच्चों के कल्याण की बात हम करते हैं और बच्चों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम करती हैं। लेकिन अधिकतर यह देखा गया है कि स्वयंसेवी संस्थाओं के काम भी बहुत प्राथमिक नजर नहीं आते। बच्चों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं भी हमने बनाई हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं नहीं बनाई हैं।

## **17.00 hrs.**

माननीय पाल साहब ने भी कहा है कि आंगनवाड़ी में बच्चों को जो स्वादिष्ट भोजन देने का काम किया है, उसके बारे में कई बार अखबारों में छपा है तथा देखने को भी मिला है कि छोटे बच्चों का भोजन देश की गाय और भैंस दूध देने के लिए खा रही हैं। वह खाना देश के बच्चों को नहीं मिल रहा है। इसके जो भी कारण हों, मैं उनकी बात नहीं कहना चाहता हूँ। बच्चों के कल्याण के लिए निश्चित तौर पर बाल कल्याण संस्थाएं जिम्मेदार हैं। बाल सुधार गृहों में अगर जा कर देखा जाए, तो अनाथ बच्चे, गरीब के बच्चे, समाज के अंतिम आदमी के बच्चे का वे क्या कल्याण करते हैं, देखने को मिल जाएगा। इन बच्चों का वहां शोषण भी होता है। ये बच्चे इस कदर शोषण के शिकार होते हैं, जिसकी कोई हद नहीं होती है। सिलाई किए कपड़ों को एक्सपोर्ट करने वाले जो कारखाने हैं, सारी मशीनों पर आठ-दस वर्ष के बच्चे कपड़ा बना रहे हैं। अगर बच्चों को चोट लग जाए, बीमारी हो जाए तो रात दिन सेवा करने वाले उस बच्चे को मालिक मार कर खदेड़ देता है, बल्कि उसकी मजदूरी भी मार लेता है। हमने कानून बनाए हैं कि जो बच्चों को काम पर रखेगा, उसे दंडित किया जाएगा। देश में लाखों लोग इस काम में लगे हैं कि अगर एक भी बच्चे से बाल मजदूरी करवाई जा रही होगी, तो हम उसे दंडित करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसी एजेंसियों की जांच की गई, जिन्होंने यह जिम्मा सम्भाला था कि बच्चों का शोषण नहीं होगा? मुझे ऐसी संस्थाओं का काम कहीं नज़र नहीं आता है। ये लोग काम कराने वाले मालिक के घर जाते हैं, उनसे तालमेल कर लेते हैं, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे होटल हो या छोटे उद्योग हों, जहां बाल मजदूर हैं, वहां सीधे इन्स्पेक्टर जाते हैं और मिलिभगत करके मालिक से समझौता कर लेते हैं।

मैं अंत में कहूंगा कि बच्चों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनें, उससे बच्चे कैसे लाभान्वित हों, यह महत्वपूर्ण बात है। इन बच्चों को शोषण से बचाने वाली जो एजेंसियां हैं, उनकी मानिट्रिंग करना बहुत जरूरी है कि उन्होंने इतने दिनों में क्या-क्या काम किए हैं और क्या परिणाम दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

**श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहान (साबरकांठा):** सभापति महोदय, आपने मुझे बाल कल्याण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं श्री अधीर रंजन जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि वे बहुत अच्छा विधेयक ले कर आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और समर्थन भी करता हूँ।

महोदय, आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। कल का भारत इन्हीं बच्चों पर निर्भर है। मैं खेद के साथ सदन को बताना चाहता हूँ कि आज गरीबी के कारण कई परिवारों के बच्चों को पढ़ाई छोड़ कर काम करना पड़ता है, जबकि उनके हाथों में किताब होनी चाहिए। बच्चों के हाथों में किताबों की जगह औजार होते हैं, चाय की केतली होती है, चाय के कप होते हैं एवं कई खतरनाक कामों को उनके द्वारा कराया जाता है। उनके काम करने के घंटे निश्चित नहीं होते हैं। बाल श्रम को रोकने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर होती है, वे अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। आज तक बाल श्रमिक को रोकने वाले किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है जबकि 14 साल के बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है। भारत में बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए सरकार चिंता नहीं करती है क्योंकि यह बच्चे गरीब के बच्चे हैं एवं पूरी तरह से उपेक्षित हैं। बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे भारत में नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए आयोग काम कर रहे हैं और कई बाल श्रमिक को रोकने के कानून लागू हैं परंतु उन पर अमल नहीं हो पा रहा है। सर्वस में बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि

सरकार ने कानून एवं योजनाएं तो बच्चों के विकास एवं कल्याण के लिए बनाई हैं परंतु उन पर ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है।

अभी हाल ही में दिल्ली में कॉमनवैलथ गेम्स की तैयारी में कई बालकों को बाल श्रम करते हुए देखा गया है। उनसे रात दिन काम करवाया गया है और सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था। मजदूरी भी दी या नहीं, इसका कोई अता पता नहीं है एवं श्रम विभाग भी सोया हुआ था। इसके लिए बाल अधिकार सुरक्षा के दिल्ली आयोग ने कॉमनवैलथ गेम्स के आयोजकों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। बाल श्रमिकों के माध्यम से निर्मित वस्तुओं को अमेरिका एवं यूरोप के देशों ने भारत से कई वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया के अधिकतर देश बालकों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं परंतु भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। यहां पर संवेदनशीलता के स्थान पर कठोरपन देखा जाता है।

आज देश के 42 प्रतिशत से ज्यादा पांच साल के नीचे के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शुरु में अच्छा काम इन बच्चों के कल्याण एवं विकास में किया परंतु इसमें भ्रष्टाचार आ गया है जिससे सर्व शिक्षा अभियान की धनराशि का दुरुपयोग होने लगा। यह अवस्था तो तब है जब उनके मा बाप होते हैं। कल्पना कीजिए जिन बच्चों के मां बाप नहीं हैं तो उनकी क्या दशा होगी। ऐसे बच्चों पर अन्याय न हो, उनको आगे बढ़ने का सहारा मिले, इसके लिए यह बिल लाया गया है।

जब बाल श्रमिकों के खिलाफ सरकार को कोई शिकायतें मिलती हैं तो उन्हें केवल विभागों को कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया जाता है। साधारणतय इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह भी देखा गया है कि जो शिकायतें करती हैं, उस पर कई मुसीबतें आ जाती हैं। बाल सुरक्षा जो आयोग है, उनको कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। वे निवेदन के साथ विभागों को मामला रफर कर देते हैं तो ऐसे आयोग का क्या फायदा? उनको कार्यवाही करने के अधिकारी भी देने चाहिए।

सरकार की उदासीनता एवं लापरवाही इस बात से साबित होती है कि सरकार के पास बाल श्रमिकों के आंकड़े नहीं हैं और बाल श्रमिक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, इसकी जानकारी भी सरकार के पास नहीं है। सरकार ने 14 साल के बच्चों के लिए 1986 में समेकित बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत की जिसके तहत राज्यों को बाल श्रमिकों के पुनर्वास शिक्षा इत्यादि के लिए सहायता दी जाती है परंतु ये योजना ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में नहीं देखी जाती है। इसका प्रभाव कुछ शहरी क्षेत्रों में देखा गया है। इसी तरह से समेकित बाल विकास योजना का क्रियान्वयन आदिवासी क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में भिलोडा, विजयनगर, मेघरज एवं खेडबूढ़मा आदिवासी ब्लॉक हैं जहां पर आई सी डी एस योजना का कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है।

उसी तरह से हमारे देश में उपेक्षित बच्चे, बेसहारा बच्चे सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि ऐसे बच्चों का पता लगाकर उनको शिक्षा मुहैया कराये, उनको पुनर्वास की सुविधाएं दे। भारत के बच्चों के विकास एवं उनके कल्याण के लिए सरकार की योजनाएं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई हैं जिसके कारण बालक कल्याण विधेयक 2009 प्राइवेट बिल को माननीय सांसद अधीर रंजन द्वारा लाया गया है जिसमें बेसहारा बच्चों का लालन से लेकर शिक्षा, पुनर्वास तक का प्रस्ताव है और अंत में उन्हें आरक्षण के माध्यम से उन्हें नौकरी दिये जाने का प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ):** सभापति महोदय, प्राइवेट मੈम्बर बिल बालक कल्याण विधेयक, 2009 श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा लाया गया। बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और बहुत अच्छे सुझाव दिए, इससे ऐसा लगता है कि देश के हर माता पिता बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। मां के खून से सींचे बच्चे जिनकी दुर्दशा की बात कही गई है। बहुत से राज्यों में बच्चों की इस तरह की दुर्दशा देखने को मिली है। भारत सरकार ने बहुत से एक्ट, स्कीम्स और कानून बनाए हैं। बच्चों के विकास में महिला विकास मंत्रालय का ही नहीं बल्कि नरेगा, पंचायतों का, रूरल डेवलपमेंट, एचआरडी, हेल्थ मिनिस्ट्री का सहयोग भी रहा है। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों और सुझावों को ध्यान से सुना है। मैं देश में बच्चों के कल्याण के बारे में व्यक्त की गई चिंताओं से सहमत हूं। यह भी बताया गया कि आज के बच्चे कल भारत का भविष्य होंगे। यह बात सही है कि विश्व में भारत की तरक्की, उज्ज्वलता, उन्नति और प्रभाव इन बच्चों पर निर्भर करता है। हाल ही में भारत में आए अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा है भारत के नौजवानों में बहुत शक्ति और ताकत है। इससे लगता है कि विदेशी लोग सोचते हैं कि हमारे देश के बच्चों में बहुत शक्ति और ताकत है इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है और भारत ने तरक्की की है। अधीर रंजन जी ने बिल में बहुत सी बातें कही हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगी। मैं यह भी जानती हूं कि भारत का अच्छा रूप और स्वरूप बनाना है, भारत की रक्षा सुरक्षित करनी है, भारत की सरहदों पर लड़ने वाला जवान यदि खड़ा होगा तो वह देश का आज का बच्चा ही होगा। देश के बच्चों का चहुमुखी विकास करने, सशक्त बनाने, मजबूती देने, शिक्षा देने, स्वास्थ्य का ध्यान रखने, रोजगार देने, अच्छा वातावरण देने की ओर ध्यान रखा जाना चाहिए। उनके लिए जो कानून बने हैं, उनका फायदा उठा सके, इसे देखना सरकार का कार्य है। मैं इसी के बारे में बताना चाहती हूं और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो मुझे एक गीत की पंक्तियां याद आती हैं - "हम लाए हैं तूफान से किशती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।" इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतना पुराना इतिहास है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान देकर भारत को आजाद कराया, भारत को सींचा। आजाद भारत का भविष्य बच्चों पर निर्भर है इसलिए हम कहते हैं - हम उस तूफान से इस किशती को निकालके लाए हैं। इन बच्चों के हाथों में भारत का भविष्य है। आज कुछ चीजें मेरे सामने आई हैं, माननीय सदस्यों ने गंभीरता दिखाई है और बच्चों में कुपोषण, और गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य के विषय में चिंता व्यक्त की है। यह बात सही है कि वर्ष 2005-06 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे अंडरवेट, अविकसित हैं, इनमें खून की कमी है, माताओं में खून की कमी है। भारत सरकार ने इनके लिए काम किए हैं और मैं उनके बारे में बताना चाहती हूं। आप जानते हैं कि कुपोषण के अनेक कारण हैं। केवल कम खाने से कुपोषण नहीं होता कि खाना पूरा नहीं मिला, साफ पानी नहीं मिला, डायरिया और डाइरेंट्री हुई और कुपोषण हो गया। अगर आसपास का वातावरण ठीक नहीं है, आसपास फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका धुआं उनके अंदर जाता है तब इससे भी कुपोषण होता है। कुपोषण के अनेक कारण हैं और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। सभी संबंधित मंत्रालयों विभागों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मिले जुले प्रयासों से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले उपायों में पहला है - विशेषकर महिलाओं में साक्षरता और जागरूकता फैलाना। अगर महिलाएं साक्षर और जागरूक होंगी तो वे जान सकती हैं कि उनके बच्चे की परवरिश कैसे हो, बच्चे के पैदा होने के बाद स्वरखाव कैसे हो, उसे कब और कैसे स्तनपान कराया जाना चाहिए। पहला स्तनपान बच्चे के लिए एक ऐसी औषधी है कि वह हमेशा के लिए ताकत और शक्ति पैदा करती है। दूसरा उपाय है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, खाद्य पदार्थों में विटामिन और खनिज का पोषण करना, फोर्टिफिकेशन, मिनरल और विटामिन देना।

वलीन ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित पेयजल, साफ-सफाई, समुचित पर्यावरणीय परिस्थितियां सुनिश्चित करना, प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन देना, जो हमारा पूरक पोषण आहार है, वह प्रदान करना, कम आयु में बालिकाओं के विवाहों की रोकथाम करना, ये सब चीजें कुपोषण को दूर करने के लिए जरूरी हैं। सरकार विशेषकर बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में कुपोषण सहित कुपोषण के समग्र मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राष्ट्रीय पोषण नीति और राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना में

भारत में पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के कई उपाय निर्धारित किये गये हैं। इसका अनुपालन करते हुए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों द्वारा और इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कई स्कीम और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। ये स्कीम इस प्रकार हैं -

जैसे मेरे मंत्रालय द्वारा आईसीडीएस, किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम मानक स्कीम मे राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलोसेन्ट गर्ल्स सबला, स्वास्थ्य मंत्रालय का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का प्रोग्राम है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मध्याह्न भोजन योजना, मिड-डे मील, एचआरडी मिनिस्ट्री का है। पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर एंड टोटल सेनिटेशन कैम्पेन, ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न रोजगार स्कीम जैसे NREGA, एनआरएचएम, मिड-डे मील, एसजीवाईएस, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना इन सबको ताकत देती हैं, शक्ति देती हैं।

जैसा मेरे साथी ने कहा कि यदि घर में गरीबी है तो मां-बाप सोचते हैं कि इस बच्चे को तुंत काम पर लगा दिया जाए। जैसे अभी माननीय सदस्य ने बताया, वह चाहते हैं कि उनका बच्चा काम करे। चाहे वह ईंट के भट्टे पर काम करे या बकरी पालन करे। मैं समझती हूँ कि यह हमारा धर्म भी है और हमारा उद्देश्य भी है कि जब हम बच्चे को पैदा करते हैं तो उसकी परवरिश करना जरूरी है। यदि उसके घर में गरीबी है तो जो रूरल हेल्थ मिशन के साथ जो हमारा नरेगा प्रोग्राम है, उसके तहत हमने रोजगार गारंटी योजना देने की कोशिश की है। हर घर को रोजगार मिले, जिससे जो मां-बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा ग्रहण करके उसे एक अच्छा रोजगार मिले और फिर वह अपना घर बसा सके। यह हमारी एक सोच है, यह हमारा एक स्वप्न भी है। हम इसे देखते हैं और यदि कोई मजबूती हो तो उस मजबूती को दूर करने के लिए हमारी सरकार के जो मंत्रालय हैं, उनमें अलग-अलग योजनाएं हैं, अलग-अलग स्कीम हैं, जिनसे हम चाहते हैं कि गरीबी दूर हो, हर परिवार को रोजगार मिले, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे आईसीडीएस प्रोग्राम में जो आंगनबाड़ी की बात कही गई है, उसमें करीब-करीब 14 लाख आंगनबाड़ी सेंटर हैं। उनमें से 11.95 लाख आंगनबाड़ी चल रही हैं और हर राज्य की जिम्मेवारी भी बनती है कि यहां से जो स्कीम जाती हैं, उन्हें ठीक से क्रियान्वित करें।

जहां तक महिला बाल विकास मंत्रालय के योगदान का संबंध है, आईसीडीएस के अंतर्गत स्वीकृत 13.67 लाख आंगनबाड़ियों में से 11.95 लाख आंगनबाड़ियां अभी चल रही हैं और कुछ बढ़ती रहती हैं। हम उन्हें डिमांड पर देते हैं, जब से इन्हें युनिवर्सलाइज किया गया है, डिमांड बेसिस पर राज्य जितनी चाहें आंगनबाड़ी खोले, उनके बच्चों को पूरक आहार मिले, ये सब चीजें मेरे मंत्रालय द्वारा की जाती हैं। राज्य शेष आंगनबाड़ियों को प्रचलित करने की कार्यवाही कर रहे हैं। तथापि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आईसीडीएस लाभार्थियों का सैल्फ सलेक्टिंग कार्यक्रम है और सेवाएं प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या आंगनबाड़ी केन्द्रों में जो रजिस्ट्रेशन होता है, उस पर मोनिटरिंग की जाती है कि वहां कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को वहां भोजन मिलता है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि सरकार ने हाल ही में नई स्कीम सबला, जैसा मैंने पहले बताया कि राजीव गांधी स्कीम फार एम्पावरमेंट एडोलोसेन्ट गर्ल्स शुरू की गई है। इसे हमने पूरे देश के हर राज्य के 200 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी पायलट बेसिस पर लिया है। हर राज्य में इसे लांच करने का कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की आयु की किशोरियों को स्वास्थ्य पोषण सहित और सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जायेगा और 15 से 18 वर्ष की आयु की सभी किशोरियों को पोषण सेवा प्रदान की जायेगी।

इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जो कंडीशन मैटरनिटी बेंनेफिट स्कीम है। मैंने कहा कि गर्भवती महिला को सशक्त किया जाये। वह काम करती है और प्रीगनेंसी के दौरान, और उसकी डिलीवरी के बाद उसे छुट्टी लेना जरूरी है जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। जो प्रीवेंट अनऑरगनाइज्ड सैवर्ट्स हैं, उसमें वह सोचती है कि मैं जल्दी से काम पर जाऊं और मुझे नुकसान न हो, उसे पूरा करने के लिये हम इस योजना के अंतर्गत सीधा कैश डिलीवर करते हैं जिससे कि वह बच्चे के साथ रह सके, अपना दूध पिला सके और उसे यह दर्द भी नहीं हो कि मैं काम छोड़कर बैठी हूँ और मुझे इनकम नहीं होगी। इस स्कीम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को अपने शिशु को दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण के सुधार के लिये 52 जिलों में, प्रयोगिक आधार पर, बेहतर एवं अनुकूल परिवेश की व्यवस्था की जायेगी। शिशु को जन्म देने के बाद स्तनपान शुरू कराने और पहले 6 महीने तक स्तनपान कराने के लिए माताओं को सहायता प्रदान की जायेगी। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में (रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम) में हम शामिल करते हैं (पूजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) जननी सुरक्षा योजना जिसमें संस्थाओं में प्रसव, प्रतिरक्षण, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी के निवारण के लिये आयरन एवं फोलिकएसिड अनुपूरक जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है। आयोडीन की कमी होने से होने वाले रोगों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में आयोडीन की कमी के निवारण के लिये आयोडिनयुक्त नमक के उपयोग पर जोर दिया जाता है। जैसा सदस्य जानते हैं कि भारत की पोषण चुनौतियों के समाधान के विषय के लिये कार्यनीतिक नोट महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ तैयार किया है जिस पर विभिन्न पक्षों के साथ आयोजित किये गये कार्यक्रम में विचार-विमर्श किया है। संसदीय परामर्शदात्री समिति में इस विषय पर विचार किया गया। इस संसद के युवा सांसदों ने एक कमेटी बैठायी है और इनकी भी अच्छी रिपोर्ट आयी। इन्होंने मुझ से बात की है और कहा कि हमारे अंदर आयरन की कमी है। आज हमें पालक से आयरन मिलता है पर स्थिति यह है कि पहले 100 ग्राम पालक खाने से जितनी मिलिग्राम आयरन मिलता था, उतना आज एक किलो पालक में भी आयरन नहीं मिलता है। उतनी शक्ति आज पृथ्वी में नहीं रही है। उसको पूरा करने के लिये हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है, जगह की कमी है, उतनी उपज हम ज्यादा बढ़ाते हैं तो उसमें उतनी शक्ति नहीं रहती है कि हमें पूरी तरह से खाद्य मिल सके। इसके लिये हमने हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कार्यक्रम किये हैं, योजना आयोग ने भारत की पोषण चुनौतियों के समाधान के विषय पर विभिन्न पक्षों की चिन्तन बैठक का आयोजन 7-8 अगस्त, 2010 को किया, जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों के विभाग, राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभिन्न सुझाव प्राप्त हुये जिन पर भारत की पोषण चुनौतियों से संबंधित प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय परिषद् में विचार-विमर्श किया गया। परिषद् ने निम्नलिखित विशेष निर्णय निर्देश दिये हैं।

i) गर्भवती महिलायें, अपने शिशुओं को अपना दूध पिलाने वाली माताओं तथा 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर ध्यान देते हुये आईसीडीएस में सुधार एवं पुनर्गठन करते हुये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ इसका सुदृढ़ संस्थागत संकेन्द्रण सुनिश्चित किया जाये।

ii) माताओं में, बच्चों में कुपोषण से अत्यधिक प्रभावित चुनिंदा 200 जिलों में, जिससे माता और बच्चे कुपोषण से अत्यधिक प्रभावित है, उस समस्या का समाधान करने के लिये .योजना आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श से बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम तैयार किया जाये। ये बहुत सारे सुझाव आये जिन्हें हम समय समय पर अपने युवा सांसदों के साथ, एनजीओ के साथ और दूसरे राज्यों के मंत्रियों के साथ, जो हमारी यूनिवर्सल टैरेटरीज हैं, उनके साथ परामर्श किया गया है।

iii) कुपोषण के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा, एवं संचार का शुभारंभ किया जाये।

iv) स्वास्थ्य, पेयजल, आपूर्ति, साफ सफाई, स्कूली शिक्षा, कृषि एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जैसे विषयों से संबंधित कार्यक्रमों में पोषण पर पूरा जोर दिया जाये। भारत की पोषण चुनौतियों से संबंधित प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रीय परिषद् की दिनांक 24 नवम्बर को आयोजित बैठक के बाद ,

मेरे मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों, विकास भागीदारों, संस्थाओं आदि के साथ कई बैठकें और परामर्श किये। इस विचार-परामर्श-विमर्श कार्यक्रम में आयोजित किये गये दिशा-निर्देश के पहलुओं पर संकल्पनात्मक ढांचा तैयार किया जा रहा है। जो बात अभी अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने बिल में कही कि ये-ये चीजें होनी चाहिएं, सरकार पहले से ही हर मुद्दे पर, हर प्वाइंट पर उन बातों को लेकर चल रही है।

शिशुओं और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के विशिष्ट मुद्दे पर आते हुए मैं कहना चाहूंगी कि इन मामलों के कारणों को दूर करने के प्रयास पूजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी किये जाते हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए नियोजित विकास के प्रारंभिक चरणों से ही किये जा रहे निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु दर वर्ष 1990 में 80 प्रति हजार जीवित प्रसव थी, जो कम होकर वर्ष 2008 में 53 प्रति हजार जीवित प्रसव पर रह गयी है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर भी वर्ष 1992-93 में 109 प्रति हजार से कम होकर वर्ष 2008 में केवल 69 रही है। पूरे देश के राज्यों में काम करने वाले जो हमारे मंत्री और जो दूसरे साथी हैं, उनके सहयोग से इसे और कम किया जा सकता है और हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चे शत-प्रतिशत सुरक्षित हैं। मात्र एक वर्ष पूर्व शुरू किया गया नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम नवजात शिशुओं और बच्चों को होने वाले रोगों की सुविधा आधारित समेकित उपचार इत्यादि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनका उद्देश्य शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाना है। मेरे मंत्रालय के साथ-साथ जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, वह भी साथ-साथ उसका सहयोग कर रहा है।

मेरे अन्य विद्वान साथियों ने भी ठीक कहा कि अच्छी शिक्षा प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा एक से पांच तक 25.5 प्रतिशत बच्चे तथा कक्षा एक से आठ तक 43.3 प्रतिशत बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह प्रतिशत अभी भी बहुत ज्यादा है। हाला ही में अधिनियमित किये गये बच्चों को नःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, अधिनियम 2009 का कार्यान्वयन, सभी बच्चों की गुणवत्ता सुलभ शिक्षा प्रदान कराने की दिशा में बढ़ावा हुआ कदम है। मैं जानती हूँ कि एवआरडी मिनिस्ट्री ने जो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है, उससे इस बात को लाभ मिलेगा कि हम शिक्षित होंगे कि हमें क्या करना है, किस तरह से हमें शिक्षा मिलेगी और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। इस अधिनियम में यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है कि, जनगणना एवं आपदा राहत संबंधी कार्यों को छोड़कर, अन्य गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों की सेवाएं न ली जायें, जो टीचर्स हैं, उन्हें न लगाया जाये। इस उपाय से कक्षाओं में अध्यापकों की उपस्थिति बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में यह भी उपबन्ध है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड न दिया जाये और न ही उसका मानसिक उत्पीड़न किया जाये।

मेरे विद्वान साथियों ने यह बात भी सामने लायी है कि विभिन्न कारणों से किया जाने वाला बच्चों का अनैतिक व्यापार हमारे सामने मौजूद एक बड़ी समस्या है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मानवों, विशेषकर, महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने के अधिकार सहित, मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि भारत को देश के भीतर और सीमा पार से अनैतिक व्यापार की दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार के लिए यह चिंता का विषय है और जहां तक व्यावसायिक यौन शोषण का सवाल है, सरकार बहुउद्देश्यीय कार्यान्वयन नीति द्वारा अनैतिक व्यापार की रोकथाम करने के लिए प्रयास कर रही है। The Immoral Traffic Prevention Act, 1956 supplemented by the IPC prohibits trafficking in human beings, including children, for prostitution and lays down penalties for trafficking.

**सभापति महोदय :** आप कितना समय लेंगे?

**श्रीमती कृष्णा तीरथ :** महोदय, पांच मिनट और लेंगे।

**सभापति महोदय :** ठीक है।

**श्रीमती कृष्णा तीरथ :** मंत्रालय द्वारा अनैतिक व्यापार पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए "महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के निवारण" की राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 1998 में तैयार की गयी थी।

हमारे मंत्रालय की जो 'उज्वला' स्कीम है, वह भी इस अनैतिक व्यापार को रोकने में कार्य कर रही है और इन गृहों में पीड़ितों को आश्रय, भोजन, कपड़ा, चिकित्सा संबंधी देखभाल, कानूनी सहायता, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त मेरे मंत्रालय में अनैतिक व्यापार के निवारण के लिए समर्थन, जागरूकता, परिशिक्षण एवं क्षमता विकास के साथ-साथ सचेतना कार्यक्रम का भी निरंतर आयोजन किया जाता है। इसके लिए अवेयरनेस करना भी बहुत ज़रूरी है। यह स्वीकारते हुए कि अनैतिक व्यापार एक संगठित अपराध है और विश्व भर में फैली हुई दुष्प्रवृत्ति है, भारत सरकार ने व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों, के अनैतिक व्यापार के निवारण, दमन एवं इन्हें दंडित करने से संबंधित नवाचार सहित तीन नवाचारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस वर्ष सरकार ने इस कन्वेंशन और इसके नवाचारों का अनुसमर्थन करने का निर्णय लिया है।

मैं जानती हूँ, जैसे अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि कम होता महिला-पुरुष अनुपात भी चिन्ता का विषय है। उन्होंने फीमेल फीटीसाइड पर बात की है। इसके लिए भी पूरे देश भर में जागरूकता अभियान है और 24 जनवरी को हमने गर्ल वाइल्ड डे डिवलेयर किया है। मैं समझती हूँ कि इसके लिए हर एनजीओ को, समाज में हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि बच्चियों का अनुपात बच्चों के बराबर हो, हम सबको इसके लिए जागरूक होना ज़रूरी है। इसलिए अनेक योजनाएँ हमने शुरू की हैं। इसमें जैसे धनलक्ष्मी योजना है कि बच्ची के पैदा होने पर धनलक्ष्मी योजना के अंतर्गत गाँठ शुरू की जाती है। इसके साथ साथ दिल्ली, में तथा अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग योजनाएँ भी हैं। दिल्ली में लाडली योजना है। जब बच्ची पैदा होती है तो उसे हम कैश देते हैं, जिससे उसकी आने वाली शिक्षा के लिए, तथा उसके खान-पान के लिए, घर वालों को उतनी तकलीफ़ नहीं होती। उन्हें लगता है कि अगर बच्ची पैदा हो तो उसे लक्ष्मी का रूप समझकर सींचा जाए तो भारत में जिसको हम माँ के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी और बहन के रूप में देखते हैं, उसके साथ ही वह बच्ची एक शक्ति का रूप भी है। बच्ची देवी का रूप भी है। हम हमेशा से देवी की शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। हिन्दू नवरात्रों में खास तौर से कन्या के रूप में भी बच्ची पूजी जाती है। तो फिर क्यों हम ऐसा सोचते हैं? मुझे लगता है कि कहीं परिवारों के सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएँ या कुरीतियाँ हैं जिसको देखकर उन्हें डर लगता है कि बच्ची पैदा हुई तो उसका रखरखाव कैसे होगा, उसकी परवरिश में चिन्ता होती है, उसकी शादी में दहेज देना होगा। इन तमाम चीजों को रोकने के लिए कानून है और उस कानून को लागू करना हमारे समाज और सरकार दोनों का काम है। समाज को भी आगे बढ़कर कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और जो हमारे एनजीओ हैं, उन्हें भी इस दिशा में काम करना चाहिए।

महोदय, अधीर रंजन चौधरी जी ने बहुत सी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कम आयु में विवाह न हो, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी कुपोषण को रोकने का एक अच्छा साधन हो सकता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में 18 वर्ष से कम की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह निषिद्ध किया गया है तथा इस अधिनियम में ऐसे उपबंध हैं जिसके द्वारा बच्चे का विवाह कराने वाले को प्रोत्साहन देने वाले तथा ऐसे विवाह में भाग लेने वाले व्यक्तियों को भी दंडित किया जा सकता है। यह प्रावधान इसमें है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारें करती हैं। राज्य सरकारों ने बाल विवाह प्रतिषेध



अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं, जिनका काम इस अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन करना है। इस अधिनियम में यह उपबंध है कि विवाह के समय बच्चे रहे वर-वधू के वयस्क हो जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता है।

श्री शैलेन्द्र कुमार जी अभी यहां नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक अडॉप्शन की बात कही थी। उस अडॉप्शन को ठीक करने के लिए, उसको पारदर्शी करने के लिए, हमने केन्द्रीय बैंक आधारित प्रणाली 'केयरिंग' की शुरूआत 14.2.2011 को की है जिसमें बैंक पर सारी चीजें उपलब्ध हैं कि कहां बच्चे हैं, जो अडॉप्ट करना चाहते हैं वह बच्चों को आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे उन बच्चों की परवरिश अच्छे घरानों में हो सके।

आज विवाराधीन बाल-कल्याण विधेयक पर आते हुए मैं यह कहना चाहूँगी कि मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि बाल कल्याण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं इस सदन को आश्चर्य करना चाहूँगी कि सरकार इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान दे रही है। देश में किशोर न्याय बालकों की देख-रेख और संरक्षण अधिनियम - जुविनाईल जस्टिस एक्ट है - 'केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ विल्ड्रन एक्ट 2000,'

2006 का जो एमेंडेमेंट एक्ट है, इसमें बहुत सारे नये प्रावधान किये गये हैं, मैं उनको पाइंटवाइज़ पढ़ूँगी। गृहों के अनिवार्य पंजीकरण आदि के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इसको कारगर बनाने के लिए 2006 में इसे संशोधित किया गया है। कामकाजी बच्चों, बेघर बच्चों, भीख मांगते हुए पाये गये बच्चों को शामिल करने के लिए इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया है। अब जो स्ट्रीट विल्ड्रन हैं, बैगर्स हैं, Abandoned हैं, Orphans हैं, सैरेण्डर्ड हैं, वे बच्चे इस स्कीम, जो जे.जे. एक्ट के तहत है, जिसे हमारे कुछ एन.जी.ओज़ चलाते हैं, कुछ राज्य सरकारें चलाती हैं, इसके अन्तर्गत इनको रखा जाता है और उसमें केन्द्र सरकार ने जो-जो अभी ज्यादा लाभ दिये हैं, मैं इनका आगे आपको विवरण दूँगी।

किशोर न्याय अधिनियम में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय कंवेशनों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय अधिनियम में ऐसे बच्चों की विकास सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने और उनके सर्वोत्तम हित में उनसे सम्बन्धित मामलों में उनके अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर इन बच्चों की समुचित देखभाल, संरक्षण एवं उपचार की व्यवस्था की गई है। किशोर न्याय अधिनियम के मद्देनज़र राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और प्रशासनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं या गैरसरकारी संगठनों के सहयोग से प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में बालगृहों की स्थापना करें और उनका रख-रखाव अच्छी तरह करें, ताकि बच्चों की देखभाल, उपचार, प्रशिक्षण और उनका पुनर्वास ठीक तरह से किया जा सके। संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को प्राप्त करने एवं उन्हें अस्थायी आवास उपलब्ध कराने हेतु आश्रय गृह यानि शैल्टर होम दिये जायें। 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखभाल हेतु विल्ड्रन होम हों। अपराध करने के आरोपी बच्चों को मुकदमों के दौरान प्राप्त करने एवं अस्थायी आश्रय प्रदान करने वाले जो हमारे ऑब्जर्वेशन होम हैं, ऐसे ऑब्जर्वेशन होम हों। अपराधी सिद्ध होने के बाद किशोरों हेतु स्पेशल होम रखे जायें, जिनमें बच्चों की पूरी तरह से देखभाल हो, उनका खाना-पीना, रहना ठीक से किया जाये। 27 राज्यों ने 75 हजार बच्चों को आवास प्रदान करने वाले ऐसे 1396 गृह स्थापित किये हैं, जो मेरे पास अभी आंकड़े हैं, जिनके लिए वे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से लागत भागीदारी आधार पर अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि इसके अलावा बच्चों को बालगृहों को छोड़ने के पश्चात उनको रोजगार प्राप्त हो, इसके लिए तैयारी करने हेतु बच्चों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, वोकेशनल ट्रेनिंग केन्द्रों एवं गैरसरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।  
...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, he has to reply to the debate.

**श्रीमती कृष्णा तीरथ:** दो मिनट। अभी टाइम खत्म नहीं हुआ।

यदि कोई बालक 17-18 वर्ष की आयु तक रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता है तो वह किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित देखभाल गृहों में 20 वर्ष तक की आयु तक रह सकता है।

हमारे यहां जो अभी एक नई स्कीम शुरू की गई है, वह इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है। इसके अन्तर्गत बहुत सारे लाभ बच्चों को दिये जाते हैं। अधिनियम के क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2009-10 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम की शुरूआत की है। इस स्कीम में बच्चों की देखभाल बेहतर तरीके से हो, इसकी व्यवस्था की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे नई अवसरचना तैयार कर सकें, मौजूदा सुविधाओं में सुधार कर सकें, गुमशुदा बच्चों को तलाशने की प्रणाली स्थापित कर सकें और चाइल्ड हैल्पलाइन के माध्यम से तत्काल सहायता प्रदान कर सकें।

साथ ही साथ इस स्कीम में प्रयोजन, लालन-पालन एवं एडॉप्शन के माध्यम से परिवार आधारित गैर-सरकारी संस्थानगत देखभाल को प्रोत्साहन दिया गया है। मेरे मंत्रालय की आई.सी.पी.एस. स्कीम को आकर्षक बनाया गया है। अब इस स्कीम के अन्तर्गत प्रावधान इस प्रकार किये गये हैं कि पहले गृहों के निर्माण में 250 रुपये प्रति स्ववायर फीट के हिसाब से हम पैसा देते थे, जिसको बढ़ाकर अब 600 रुपये प्रति स्ववायर फीट किया गया है और प्रतिमाह बच्चों को जो 500 रुपये दिया जाता था, अब वह 750 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। बढ़े हुए वेतन के साथ कर्मचारियों के लिए प्रावधान 1.1 लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये किया गया है, ताकि जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ है, उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाये। लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, परिवहन सुविधा, मनोरंजन हेतु अतिरिक्त निधियां दी जाती हैं। केन्द्र सरकार ने 50 प्रतिशत के व्यय के पिछले मानक की तुलना में अब 75 प्रतिशत पैसा खुद देना शुरू किया है।

पच्चीस पैसे राज्य को देना होता है, जो पहले 50-50 का रेश्यो था, लेकिन अब केंद्र ने आईसीपीएस स्कीम के अंतर्गत 75 प्रतिशत राशि देना शुरू किया है। इस समेकित विकास स्कीम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर, जम्मू-कश्मीर तथा अंडमान को छोड़कर, 33 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। मैं यह बताना चाहती हूँ जैसा कि हमारे सदस्य ने कहा है कि इसमें और भी बहुत सी चीजें दी हैं, जैसे उनके खेलने के लिए अलग से जगह होनी चाहिए, इंडोर गेम हो, सात बच्चों पर एक शौचालय हो, दस बच्चों पर एक रनानाघर हो। इस तरह के प्रोजेक्ट करके हमने उनको पूरी सुविधाएँ देने की बात की है। इन गृहों में रहने वाले बच्चों को सभी सुविधाएँ मुफ्त प्रदान की जाती हैं।

मैं अब बाल श्रम मुद्दों के बारे में आती हूँ, जो बाल श्रम की बात की गयी है, जिसे हमारी लेबर मिनिस्ट्री करती है, मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूँगी कि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, 1986 की अनुसूची के भाग (क) में निर्धारित जोखिमपूर्ण 16 व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में तथा भाग (ख) में निर्धारित 65 प्रक्रियाओं

में से किसी भी प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार का प्रतिषेध करता है। ऐसे व्यवसायों में कालीन बुनाई, माचिस बनाना, जिसके बारे में अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, कालीन बुनाई, माचिस बनाना, विस्फोटक एवं पटाखे, कीटनाशक, विषैले पदार्थों का निर्माण अथवा उनका रख-रखाव आदि शामिल हैं। हाल ही में घरेलू नौकरों के रूप में बालकों के रोजगार तथा ढाबों, रेस्तरां, होटल, मोटलों और चाय की दुकानों, रिसोर्ट, स्पा तथा मनोरंजन के अन्य केंद्रों पर भी बालकों के रोजगार का निषेध किया गया है। इसके अलावा किशोर न्यायाधिनियम में यह उपबंध है कि किसी भी जोखिमपूर्ण रोजगार में बालक को नहीं लगाया जा सकता है। अगर उसके माता-पिता भी बालक को रोजगार के लिए कार्य पर लगाएं तो उसके लिए मां-बाप के प्रति भी कानूनी कार्यवाई कर सकते हैं। बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के श्रम विभागों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि गत दस वर्षों के दौरान 31.5 लाख निरीक्षण किए गए। अतिक्रमण में 21.5 लाख मामले पाए गए, जिनमें 89 हजार अभियोजन शुरू किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 23 हजार लोग दोषी सिद्ध किए गए। बच्चों को इससे लाभ मिला है। मजदूरी से छुटाए गए बच्चों के पुनर्वास हेतु श्रम मंत्रालय ने 20 राज्यों के 271 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का क्रियान्वयन किया है। इस योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे 8,710 विशेष स्कूलों के माध्यम से लगभग 3.39 लाख बच्चों को लाभ मिला है। जो बच्चे छुड़ाए जाते हैं, उनको एक ब्रिज एजुकेशन देते हैं। तीन साल की उस ब्रिज एजुकेशन के बाद बच्चे को सिवरथ वलास में मेन स्ट्रीम में दूसरे स्कूलों में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने के लिए भेजा जाता है।

माननीय सदस्य ने किशोर गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रस्ताव किया है। मैं माननीय सदस्य की इस चिंता को समझती हूँ कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद बच्चों के रोजगार सुनिश्चित करने के संबंध में जो उन्होंने कही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वर्तमान में सरकार की नीति शिक्षा एवं व्यवसाय प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को आवश्यक कौशलों से युक्त करना है, ताकि वे उपयुक्त रोजगार प्राप्त कर सकें तथा समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल हो सकें। तमिलनाडु सरकार ने पिछड़े वर्ग की सूची में अनाथ और निराश्रित बच्चों को शामिल कर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभायी है। मैं चाहती हूँ कि बाकी राज्य भी इसका अनुसरण करें और उन बच्चों को जो उनका रिजर्वेशन है, उस कैटेगरी में लेकर आएँ।

अतः मैं सदन को बताना चाहूँगी कि विधेयक में प्रस्तावित अनुबंध पहले से ही पर्याप्त रूप से मौजूद हैं, तथा सरकार के विधानों एवं स्कीम कार्यक्रमों में शामिल हैं, इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करती हूँ कि इस विधेयक को वापस लिया जाए।

MR. CHAIRMAN : Mr. Adhir Chowdhury, in view of the exhaustive reply given by the hon. Minister, would you still like to speak?

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Yes, Sir, but I would be very brief because my colleague Shri Baijayat Panda is fervently waiting for initiating the discussion on his Bill and so in a short while I will leave the floor to him.

Sir, I must first convey my warm gratitude to the hon. Minister and all the Members who have participated in this important discussion.

Not only that, they have offered a number of important suggestions, which will enrich the legislative and administrative parts involved in this area.

I must subscribe to the view, as has been elucidated by our hon. Minister, that there is no dearth of programmes, of laws, and of Acts, but the crux of the problem lies in implementation because it is incumbent upon the respective States to implement the programmes that have been earmarked for the children of our country.

मैं कह सकती हूँ कि आज की दुनिया हमारी है, बच्चों की भी है, लेकिन दावे के साथ यह भी जरूर कहना पड़ेगा कि आने आने वाले दिन सिर्फ बच्चों के हैं, हमारे नहीं। अगर आज हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारी पसूर जनरेशन हम पर सवालिया उंगली उठाएगी कि इन्होंने कुछ नहीं किया।

I beg to differ on a few arguments, as has been made by the hon. Minister. Sir, if you see the Annual Report 2009-10, the Ministry of Woman and Child Development, Government of India notified the model rules 2007 framed under the amended Juvenile Justice Act in the Gazette of India on 26 October 2007, and State Governments and Union Territories were requested to adopt the model rules and effectively implement the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000, as amended in 2006.

May I like to know how many States have so far notified the Gazette and how many States have so far taken initiatives to implement the tone and tenor of this Act? Yes, hon. Minister has referred in regard to ICPS, Integrated Child Protection Scheme. This scheme is implemented mainly through the State Government, UT administration. During the Eleventh Plan period, the signing of Memorandum of Understanding between the Government of India and the respective State Governments, UT administration is prerequisite for implementation of this scheme. As on 25<sup>th</sup> January 2010, only 13 States have signed the MoU with the Ministry of Woman and Child Development, Government of India.

Sir, further more, a sum of Rs.1076 crore has been allotted for implementation of this scheme during the Eleventh Plan period. The budget allocation under this scheme for the current financial year 2009 is Rs.60 crore only, out of which Rs.22.20 crore has been released to the State Governments for implementing the scheme. That is why, I during my discussion, tried to draw the attention of the concerned Minister that 'yes' schemes are in galore, but what we require is adequate fund and adequate administrative and legal measures.

In so far as child marriage is concerned, according to the Annual Report of this Ministry, child marriage is a blatant violation of child rights. According to the National Family Health Survey, it is estimated that around 47 per cent of women aged 20 to 24 years were married by the age of 18 years. That is why, we are simply confined in letters of our legislation, but we are not able to implement the spirit of our legislation.

Sir, I shall be very brief. The hon. Minister just referred to Dhanalakshmi Conditional Cash Transfer for Girl Child with insurance cover. Sir, you will be astonished to know that the scheme is being implemented in 11 blocks only across seven States. An outlay of Rs.10 crore is provided in Annual Plan 2009-10. This is a meagre amount.

Not even that, even the Standing Committee of the concerned Ministry has also recommended; I would like to read a few lines:

"The Committee notes with concern that complete information is not available with the Ministry regarding the number of observation homes, special homes for juveniles in conflict with law, and children homes, shelter homes for juveniles in need of care and protection set up by the States across the country. Only five States, Karnataka, Himachal Pradesh, Haryana, Mizoram, and Delhi have constituted Inspection Committee for inspecting the children homes. The Committee further notes that though the Act provides for facilities and various types of services in the special homes, shelter homes, many of the homes are lacking in basic facilities like sanitation and recreation facilities. The Committee, however, is of the view that monitoring of the implementation of this Act is the responsibility of the Central Government and hence the Ministry should ensure that the provisions of the Act are implemented effectively."

India is a country which is called the youngest country in the world. Sir, 80 per cent of street children of our country consume drug to cope with the pangs of hunger, fear, loneliness and despondency often involves in survival sex. Can you imagine, Sir?...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : While moving the Bill, you have already stated this.

SHRI ADHIR CHOWDHURY: Sir, some of the points we need to discuss here.

Sir, it is reported that 10,000 pedophiles visit the coastal States in India every year and sexually exploit our children. India's West coast cities like Mumbai, Goa, joined Sri Lanka and Thailand on the pedophiles map. It is a humiliation for our country.

Sir, 53 per cent, of an estimated 420 million children had undergone some form of sexual victimization. Sir, can you imagine it?

MR. CHAIRMAN: Are you willing to withdraw the Bill?

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Yes, Sir. Kindly listen to me.

Sir, rape is one of the fastest growing crimes in our country; 9.5 per cent of the rapes are reported of those who are under 15 years of age; 15.2 per cent of those raped children are under 18 years of age. However, I must appreciate that the Ministry is striving hard to get all the Acts together so as to save our future generation who are the asset of our country. Therefore, with the firm belief, I think that the stigma that we are facing now will be erased by the endeavour of the concerned Ministry and the concerned Government. With these words, I am concluding my speech.

I beg to move for leave to withdraw the Bill to provide for the welfare of children and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill to provide for the welfare of children and for matters connected therewith."

*The motion was adopted.*

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I withdraw the Bill.

